75 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

मध्यप्रदेश शासन

संस्कृति संचालनालय

1. शिवाजी नगर (रेडक्रास अस्पताल के पीछे), भोपाल - 462016

दूरभाष : 0755-2770597, 2770598

www.culturemp.in contact.culture@mp.gov.in

दिनांक 08.08.2023

कार्यवाही विवरण

—:—

संस्कृति संचालनालय, म.प्र. के आदेश क्र. 417(A)–417(B), दिनांक 03/05/2023 द्वारा श्रृव्य–दृश्य (फिल्म निर्माण) कार्य हेतु ऑनलाईन आमंत्रित निविदाओं के परीक्षण के लिए गठित समिति की दिनांक 24.07.2023 को सायं 03:00 बजे संस्कृति संचालनालय के सभागृह में श्रीमती वंदना पाण्डेय, उप संचालक की अध्यक्षता में पात्र 15 निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यवार/अवधिवार दर, विवरण/तुलनात्मक न्यूनतम दर पत्रक एवं संलग्न ''परिशिष्ट–अ'' अनुसार संस्थाओं की क्रमवार स्थिति/न्यूनतम दर पत्रक के आधार समिति द्वारा ''मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन (संशोधित) नियम–2022'' के नियम–52 अनुसार L-1 की दरों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण किये जाने हेतु बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :–

1.	श्रीमती वंदना पाण्डेय	–	अध्यक्ष
2.	श्री एच. आर. अहिरवार	–	सदस्य
3.	श्री अमित कुमार यादव	–	सदस्य

उपरोक्त संलग्न ''परिशिष्ट–अ'' अनुसार संस्थाओं की क्रमवार स्थिति एवं न्यूनतम दर पत्रक के आधार समिति द्वारा ''मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन (संशोधित) नियम–2022'' के नियम–52 अनुसार L-1 की दरों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि L-1 की दरें भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के Directorate of Advertising & Publicity, M/O Information and Broadcasting, Soochna Bhawan, New Delhi के द्वारा उक्त कार्य हेतु जारी की दरों से भी अत्याधिक कम है, जिस पर व्यावहारिक रूप से कार्य किया जाना संभव नहीं है। भण्डार क्रय नियम में गुणवत्ता और लागत आधारित चयन की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया, जिसमें प्रस्ताव की गुणवत्ता एवं सेवाओं की लागत के दृष्टिगत सफल निविदाकर्ता का चयन किया जाता है। वर्तमान प्राप्त दरों में इस मापदंड का पालन किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त एम.पी. टेण्डर पोर्टल द्वारा L-1 घोषित संस्था ''जे.डॉट फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड'' द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20/07/2023 में उल्लेख अनुसार निविदा प्रपत्र की भाषा एवं शर्तों को समझ न पाने के कारण तथा कुल टेण्डर कार्य की राशि रू. 15.00 लाख समझने के कारण त्रुटिपूर्ण रूप से दरें प्रस्तुत निविदा प्रस्ताव में भरी गई, जिस पर स्वयं ने भी कार्य किये जाने पर असमर्थता व्यक्त करते हुए निविदा प्रस्ताव वापिस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

एम. पी. टेण्डर्स में निविदा प्रक्रिया ऑनालाईन होने के कारण L-1 का निर्धारण स्वतः पोर्टल द्वारा किया जाता है, जिसमें L-1 की दरें अयुक्तियुक्त या असाधारण रूप से कम होने पर L-2 को L-1 बनाये जाने के संबंध में कोई प्रावधान/प्रक्रिया उपलब्ध न होना पाया गया है तथा भण्डार क्रय नियम भी इस संबंध में मौन हैं।

अतः ''मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन (संशोधित) नियम–2022'' के नियम–52 अनुसार L-1 की दरों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण किये जाने पर अयुक्तियुक्त प्रस्तावित दरों से निविदा प्रक्रिया दूषित होने के कारण समिति द्वारा निविदा निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(श्रीमती वंदना पाण्डेय) अध्यक्ष	(श्री एच. आर. अहिरवार) सदस्य	(श्री अमित कुमार यादव) सदस्य

Scanned with CamScanner